

विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 मि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010—भाद्र 12, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 10379/205/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-08-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, 2010

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएँ.
3. छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन.
4. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा की शर्तें.
5. आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी.
6. वेतन एवं भत्तों का अनुदान के माध्यम से भुगतान.
7. रिक्तियाँ इत्यादि आयोग की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी.
8. आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन.
9. आयोग की बैठक.
10. आयोग की कार्यप्रणाली (कृत्य).
11. राज्य शासन द्वारा अनुदान.
12. आयोग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य.
13. अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ.
14. सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य.
15. वार्षिक प्रतिवेदन.
16. वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना.
17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों का लोक सेवक माना जाना.
18. राज्य शासन का आयोग से परामर्श करना.
19. नियम बनाने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 20 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, 2010

राज्य के विचारों की परम्परा और राज्य की समग्र भाषायी विविधता के परिरक्षण, प्रचलन और विकास करने तथा इसके लिये भाषायी अध्ययन, अनुसंधान तथा दस्तावेज संकलन, सृजन तथा अनुवाद, संरक्षण, प्रकाशन, सुझाव तथा अनुशंसाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी पारम्परिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु शासन में भाषा के उपयोग को उन्नत बनाने के लिए "छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग" का गठन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, 2010 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—
 - (क) "आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग;
 - (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा नामांकित आयोग का अध्यक्ष;
 - (ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग;
 - (घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का नामांकित सदस्य तथा जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;
 - (च) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;
 - (छ) "सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव.
3. (1) राज्य शासन, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करने एवं इसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगा.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

परिभाषायें.

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन.

- (2) आयोग एक अध्यक्ष तथा चार सदस्यों से मिलकर बनेगा. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ऐसे प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होंगे, जो छत्तीसगढ़ी भाषा/छत्तीसगढ़ी साहित्य के ज्ञाता होंगे.
- (3) आयोग के अध्यक्ष एवं चार सदस्य राज्य शासन द्वारा नामांकित होंगे.

अध्यक्ष व सभी सदस्य ऐसी अवधि तक पद धारण करेंगे जो तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी

अध्यक्ष एवं सदस्यों के

- (2) अध्यक्ष या सदस्य, राज्य शासन को संबोधित एवं लिखित में यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी भी समय, त्याग पत्र दे सकेंगे।
- (3) राज्य शासन द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपधारा 3 (3) में उल्लेखित अध्यक्ष या सदस्य के पद से पदच्युत किया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति :—
- (क) प्रभारित दिवालिया हो गया हो;
- (ख) जिसे नैतिक अधमता के अपराध में सम्मिलित होने के लिए सिद्धदोष एवं कारावास से दण्डित किया गया हो;
- (ग) विकृत चित्त का हो जाये एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;
- (घ) जो कार्य करने से इंकार करे अथवा कर्तव्य पालन में असमर्थ हो जाए;
- (ङ) बिना अवकाश प्राप्त किये आयोग की निरंतर तीन बैठकों में अनुपस्थित हो; अथवा
- (च) जिसने राज्य शासन के विचार से, अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि पद में उसकी निरन्तरता, लोकहित के लिए हानिकारक हो सकती हो,

परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर नहीं दिया जाता, तब तक उसे इस खण्ड के अंतर्गत नहीं हटाया जाएगा।

आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

- (4) अध्यक्ष व सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें एवं सेवा शर्तें वैसी ही होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

- (1) राज्य शासन, आयोग को ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो।
- (2) अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति आयोग के प्रयोजन हेतु हुई है, के वेतन एवं देय भत्ते एवं अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तें वैसी ही होंगी जैसी की राज्य सरकार द्वारा विहित जाएगी।

वेतन एवं भत्तों का अनुदान के माध्यम से भुगतान।

6. अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन एवं देय भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसमें अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते व पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 11 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा।

रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।

7. आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या दोष विद्यमान होने के आधार पर, आयोग के कार्य या कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा न ही वह अवैध होगा।

आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन।

8. (1) आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा।
- (2) आयोग अपनी प्रक्रिया का विनियमन स्वयं करेगा।
- (3) आयोग के समस्त आदेश व निर्णय आयोग के सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी, जो इस निमित्त सचिव द्वारा उचित रीति से प्राधिकृत हों, के द्वारा अभिप्रमाणित होंगे।

आयोग की बैठक

9. (1) आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

सहमति से निश्चित की जाएगी तथा जिसकी सूचना बैठक के कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित की जाएगी.

- (3) अध्यक्ष, आवश्यकतानुरूप विशेष बैठक का आयोजन कर सकता है.
- (4) आयोग के कम से कम 3 सदस्यों के लिखित निवेदन पर, जो बैठक के लिए नियत दिनांक से कम से कम 21 दिवस पूर्व दिया गया हो, आयोग की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी. इस अध्यक्षता के साथ प्रस्ताव के रूप में इस तथाकथित बैठक के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से संबंधित एक प्रतिवेदन भी संलग्न होना चाहिए.
- (5) आयोग की वार्षिक बैठक निम्नांकित उद्देश्यों के लिए बुलाई जाएगी :—
 - (क) वार्षिक रिपोर्ट तथा विगत वित्तीय वर्ष के वार्षिक आय तथा व्यय रिपोर्ट एवं आगामी वर्ष के लिये प्रस्तावित बजट पर विचार विमर्श करने के लिए.
 - (ख) आयोग द्वारा आवश्यक समझी गई किसी भी तदर्थ समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए.
 - (ग) वर्ष की योजना को अंतिम रूप देने के लिए.
 - (घ) अध्यक्ष की सहमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार विमर्श करने के लिए.
- (6) वार्षिक बैठक के विषय में सूचना के साथ-साथ समस्त सदस्यों को कार्य सूची तथा वार्षिक रिपोर्ट, बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 07 दिवस पूर्व प्रदान की जाएगी.

10. (1) (क) आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा या साहित्य से संबंधित विषय पर या तो स्वविवेक से या उस संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगा.
- (ख) उक्त कार्यवाही अध्यक्ष के अनुमोदन से संचालित की जाएगी.
- (2) आयोग की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य अपने बीच से बैठक के लिए अध्यक्ष का चयन करेंगे. इस प्रकार चयनित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं उक्त बैठक में अध्यक्ष के समस्त कार्यों का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.
- (3) आयोग के अध्यक्ष द्वारा, आयोग के सदस्यों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जा सकेगा.
- (4) जहां आवश्यक हो, आयोग द्वारा अपनी कार्यप्रणाली पृथक रूप से निर्धारित की जा सकेगी.
- (5) आयोग के निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, स्वीकृत किए जाएंगे. समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

आयोग की कार्यप्रणाली
(कृत्य).

11. (1) राज्य शासन, राज्य विधान सभा के द्वारा इस निमित्त तैयार की गई उप-विधि के द्वारा देय विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी, जितनी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए उपयुक्त समझे.

राज्य शासन द्वारा अनुदान.

- (2) आयोग, ऐसी धनराशि का जितनी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य संचालन के लिए उचित समझे, व्यय कर सकता है एवं ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया गया व्यय समझा जाएगा.

आयोग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य.

12.

(1)

आयोग द्वारा उचित आय-व्यय का विवरण एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों का संधारण कि जाएगा एवं आय-व्यय का वार्षिक विवरण, राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के साथ परामर्श से तैयार किया जाएगा.

(2)

महालेखाकार द्वारा, आयोग की आय-व्यय के विवरणों को ऐसे समयांतराल में, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अंकेक्षित किया जाएगा एवं ऐसे अंकेक्षण से संबंधित, किया गया कोई भी व्यय, आयोग द्वारा महालेखाकार को भुगतान योग्य होगा.

(3)

इस अधिनियम के अंतर्गत महालेखाकार एवं उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, आयोग के आय-व्यय के विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में समान अधिकार तथा विशेषाधिकार एवं प्राधिकार इस प्रकार के अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त होंगे, जैसे कि शासकीय आय-व्यय के विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में सामान्यतः महालेखाकार को प्राप्त होते हैं एवं विशेष रूप से पुस्तकों के मुद्रण, आय-व्यय विवरण, संबंधित प्रमाणन, अन्य दस्तावेजों एवं कागजात की मांग करने का एवं आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार भी प्राप्त होगा.

(4)

जैसे ही महालेखाकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग के आय-व्यय का विवरण पत्र प्रमाणित होता है, उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ उस प्रतिवर्ष आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा.

(5)

आयोग ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ.

13.

(1)

अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के कृत्य दक्षतापूर्वक तथा नियमों, विनियमों व उप-विधियों के अनुसार चल रहे हैं;

(2)

अध्यक्ष, सचिव को दिए गए निर्देश के अन्तर्गत आयोग की बैठक बुलाएगा;

(3)

अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(4)

अध्यक्ष, आयोग की किसी बैठक में सदस्यों के द्वारा दिए गए मतों की वैधता के निर्णय हेतु एकमात्र प्राधिकारी होगा;

(5)

विशिष्ट मुद्दे के लिए तथा उसके विरुद्ध समान मतों की दशा में अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा.

सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य.

14.

(1)

आयोग का सचिव, आयोग के कृत्यों तथा निधियों के समुचित प्रशासन तथा आयोग के विविध क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा.

(2)

सचिव के पास अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु शासन के विभागाध्यक्ष के समतुल्य प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ होंगी तथा उसे शक्तियाँ होंगी :—

(क)

आयोग के विनिश्चयों तथा निर्देशों का क्रियान्वयन करने की;

(ख)

आयोग की बैठकों का संचालन तथा इन बैठकों की कार्यवाहियों का लेखा रखने की;

(ग)

इसके अधिकारियों सहित आयोग के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करने की;

(घ)

आयोग के समस्त अधिकाधिकारों का क्रियान्वयन करने की;

(ड) ऐसे पर्यवेक्षण तथा अनुशासनीय नियंत्रण प्रयुक्त करने की, जैसा कि विहित किया जाए;

(च) उसे अन्य ऐसे कृत्य सौंपने की, जैसा कि आयोग उचित समझे.

(3) सचिव उत्तरदायी होगा :-

(क) आयोग के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के आयव्यय तथा लेखांकन के लिए;

(ख) विविध क्रियाकलापों के समय पर क्रियान्वयन हेतु निधियों को विमुक्त करने के लिए;

(ग) कार्यक्रमों से संबंधित समस्त वित्तीय विषयों का लेखा संधारित करने के लिए;

(घ) राज्य के साथ-साथ केन्द्र शासन से निधियों की विमुक्ति हेतु निवेदनों की तैयारी तथा निवेदन के प्रत्याहरण की तैयारी एवं प्रेषण के लिए;

(ङ) आयोग के कार्यालय की विविध शाखाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए;

(च) कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के विषयों से संबंधित समस्त पहलु के लिए

15. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु, ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय में, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जैसा कि विहित किया जाये, इसके वार्षिक प्रतिवेदन में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का संपूर्ण विवरण होगा एवं इसको एक प्रति राज्य शासन को प्रेषित की जाएगी.

वार्षिक प्रतिवेदन.

16. राज्य शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के साथ इसमें अंतर्गट, अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाहियों का ज्ञापन तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना.

17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को भारतीय द्रष्ट संविधान, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में "लोक सेवक" माना जाएगा.

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों का लोक सेवक माना जाना.

18. छत्तीसगढ़ी भाषा से सम्बद्ध विषयों पर राज्य शासन, आयोग से परामर्श कर सकेगा.

राज्य शासन का आयोग से परामर्श करना.

19. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए समस्त नियम, इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 10379/205/21-अ/प्रा./छ. ग./10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. चाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2010)

CHHATTISGARH OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION ACT, 2010

CONTENTS

Sections	Title
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
3.	Constitution of the Chhattisgarh Official Language Commission.
4.	Term of office and conditions of Service of Chairperson and Member.
5.	Officers and other employees of Commission.
6.	salaries and allowances to be paid out of Grants.
7.	Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8.	Procedure to be regulated by the Commission.
9.	Meeting of the Commission.
10.	Working Procedure (Function) of Commission.
11.	Grants by the State Government.
12.	Powers and duties of Commission.
13.	Functions and Powers of Chairperson.
14.	Powers and duties of Secretary.
15.	Annual Report.
16.	Annual Report and Audit Report to be laid.
17.	Chairperson, Members and staff of Commission to be public servants.
18.	State Government to consult Commission.
19.	Power to make rules.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2010)

CHHATTISGARH OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION ACT, 2010

An Act to constitute the "Chhattisgarh Official Language Commission" with the object to preserve, prevail and develop the state's tradition of ideas and the complete linguistic variety of the state and to encourage the traditional language of Chhattisgarhi through linguistic studies, research and documentation, creations and translations, conservation, publications, suggestions and recommendations, as also towards promoting the use of the language in Government.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Official Language Commission Act, 2010.
- (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Short title, extent and commencement.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:—
 - (a) "Commission" means the Chhattisgarh Official Language Commission constituted under section 3 of this Act;
 - (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission as nominated by the Government of Chhattisgarh;
 - (c) "Department" means the Culture Department Government of Chhattisgarh;
 - (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (e) "Member" means the nominated members of the Commission and includes the Chairperson;
 - (f) "State" means the State of Chhattisgarh;
 - (g) "Secretary" means Secretary of the Commission.

Definitions.

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as Chhattisgarh Official Language Commission/Rajbhasha Ayog to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.
- (2) The Commission shall consist of the Chairperson and four other members. The Chairperson and the members of the Commission shall be such eminent and renowned persons who are well acquainted with Chhattisgarhi Language/Chhattisgarhi Literature.
- (3) The Chairperson and members of the Commission shall be nominated by State Government.

Constitution of the Chhattisgarh Official Language Commission.

4. (1) The Chairperson and every Member shall hold office for such term, not exceeding three years, or as may be specified by the State Government in this behalf, and never more than two terms. Provided that in case a member is appointed as chairman as per procedure, then the term/s for Chairman shall be

Term of office and conditions of Service of Chairperson and Member.

Government, resign from the office of the Chairperson or Member as the may be at any time.

- (3) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or a Member referred to in sub-section 3 (3) if that person—
- (a) becomes an undercharged insolvent;
 - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (d) refuses to act or becomes incapable to perform duty;
 - (e) without obtaining leave remains absent in three consecutive meetings of the Commission; or
 - (f) in the opinion of the State Government, has so abused the position of Chairperson or Member as to render his continuance in office detrimental to the public interest.

Provided that, no person shall be removed under this clause until and unless he has been given a reasonable opportunity of, being heard in the matter.

Officers and other employees of Commission.

- (4) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and the Members shall be such as may be prescribed by the state Government.
5. (1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.
- (2) The salaries and allowances payable and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of Commission shall be such as may be prescribed by the state Government.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of Section 11.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The headquarters of the Commission shall be at Raipur.
- (2) The Commission shall regulate its own procedure.
- (3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

Meeting of the Commission.

9. (1) The meeting of the Commission shall be conducted at least twice a year

- (2) The date and time of the meeting shall be such as decided in the last meeting or shall be fixed with the consent of Chairperson and its intimation shall be sent at least seven days prior to the meeting.
- (3) The Chairperson may call special meeting as per necessity.
- (4) A special meeting of the Commission may be called on the basis of written request of at least 3 members of the Commission submitted at least 21 days prior to the requisite date of meeting. A proposal clearly indicating the object of the meeting so called must be enclosed with this requisition.
- (5) The Annual meeting of the Commission shall be called upon for the following objects :—
 - (a) to discuss the Annual Report and the Annual Income and Expenditure Report of the previous financial year and proposed budget for the coming year;
 - (b) To nominate the members of any adhoc committees as considered necessary by Commission;
 - (c) To finalized the plan for the year;
 - (d) To discuss on any other matter with the consent of the Chairperson.
- (6) The intimation about the Annual meeting along with the Agenda and Annual Report shall be delivered to all the members at least 7 days prior to the date prescribed for the meeting.

10. (1) (a) The Commission shall take necessary action on a matter related to Chhattisgarhi language or literature either on its own or on receipt of information's thereto.
- (b) The above action shall be conducted with the approval of the Chairperson.

Working Procedure
(Function) of Commission.

- (2) The meetings of the Commission shall be presided over by Chairperson. In the absence of Chairperson, the members present in the meeting may elect a chairperson amongst themselves for presiding that meeting. The member so elected shall preside over the meeting and exercise the powers of Chairperson in the said meeting.
- (3) The Chairperson of the Commission may distribute the work and responsibility among the members of the Commission.
- (4) The Commission may prescribe its work procedure separately wherever necessary.
- (5) The decisions of the Commission shall be approved by the majority of members present. In the case of a tie, the Chairperson shall have the power of the casting vote.

11. (1) The State Government shall, after due appropriation made by State Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

Grants by the State Government.

Powers and duties
of Commission.

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government, in consultation with the Accountant General, Chhattisgarh.
- (2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General at such interval as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.
- (3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privilege and the authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Commission.
- (4) The accounts of the Commission as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government by the Commission.
- (5) The Commission shall exercise such other duties as may be prescribed.

Functions and Powers
of Chairperson.

13. (1) The Chairperson shall ensure that the affairs of the Commission are run efficiently and in accordance with the rules, regulations and bye-laws;
- (2) The Chairperson shall convene the meeting of the Commission under instruction to the Secretary;
- (3) The Chairperson shall preside over the meeting of the Commission;
- (4) The Chairperson shall be the sole authority to judge the validity of the votes cast by the members in any meeting of the Commission;
- (5) The Chairperson may exercise his casting vote in case the votes for and against a particular issue are equal.

Powers and duties
of Secretary.

14. (1) The Secretary of the Commission shall be responsible for proper administration of the affairs and funds of the Commission and implementation of various activities of the Commission.
- (2) The Secretary will have administrative and financial powers equivalent to the head of the department of the government for the effective discharge of his functions and he shall have the powers to :—
- (a) Implementation the decision and instruction of the commission;
- (b) Conduct meetings of the Commission and keep a record of proceedings of these meetings;
- (c) Co-ordinate and exercise general supervision over the activities of the Commission including its officers;
- (d) Prescribe the duties of all officers and staff of the Commission;
- (e) Exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department.	Capital 50,00,00,000	0	50,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue 1,600	0	1,600
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue 49,44,00,000	0	49,44,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue 28,04,21,000	0	28,04,21,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue 8,00,000	0	8,00,000
Total Revenue		7,59,85,28,300	1,87,93,300	7,61,73,21,600
Capital		2,22,85,01,700	0	2,22,85,01,700
Grand Total		9,82,70,30,000	1,87,93,300	9,84,58,23,300